



आजीविका

क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाईटी

राज्य प्रशासन नियुक्ति नियमावाली

SPMC - ACT

2022 - 2023



Control Office

Near Railway Station Malgodam Road, Surat Ganj,
Ward No.18, Madhubani (Bihar) - 847211
Helpline No. : 9470879074, 9939852737
Landline No: 06276-222044

Email ID : indiaskfoundation@gmail.com
indiaskfoundation468@gmail.com
Website : www.indiasatyakam.co.in



प्रस्तावना

प्रिय देशवासियों आप सभी को सत्यकाम फाउण्डेशन ट्रस्ट परिवार में स्वागत है। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी की सत्यकाम फाउण्डेशन ट्रस्ट की ओर से आजीविका क्रैडिट को-ऑपरेटिव सौसाईटी संपूर्ण भारत वर्ष में तेजी से अपनी पहचान बना रहा है। जहाँ देश के हजारों शिक्षित युवा युक्तियों को स्वयं आत्मनिर्भर बनाने एवं रोजगार का अवसर भूप - ए और भूप - बी के लिए प्रदान कर रहा है। इच्छुक आवेदक आज ही निर्णय लें एवं हमारे ऑनलाईन पोर्टल का उपयोग कर आवेदन प्रविष्ट करायें।

निवेदक:-
आजीविका प्रबंध निदेशक

रजा हैदर

नियुक्ति नियम व निर्देश

प्रदेश परियोजना निदेशक एवं संबंधित विभागीय कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति ग्रुप-ए और ग्रुप- बी के रूप में
निम्नलिखित माप - दंडों के आधार पर प्रस्तावित विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित कराई जाएगी।

क्र० सं०	विभाग	पद	रिक्तियाँ	शैक्षणिक योगताएँ	कार्य अनुभव	मानदेय (रूपयें में)	यात्र भत्ता (प्रति कि० मी०)	आवास फंड (रूपयें में)	कलब मेंबर एवं परफॉर्मेंस बोनस (रूपयें में)
1	प्रदेश परियोजना निदेशक कार्यालय	परियोजना निदेशक	01	MBA	3 वर्ष	40000+	1.5 रूपया	3500+	1.50%
2	प्रदेश परियोजना निदेशक कार्यालय	निजी सचिव	01	PG. PH.ed	2 वर्ष	26000+	--	2500+	
3	प्रदेश परियोजना निदेशक कार्यालय	प्रौद्योगिक प्रबंधक	09	BCA, MBA BBA, M.Tech	2 वर्ष	25000+	--	3000+	1.50%
4	प्रदेश परियोजना निदेशक कार्यालय	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	8000+	--		
5	प्रदेश परियोजना निदेशक कार्यालय	सुरक्षा प्रहरी	01	INTER	2 वर्ष	10000+	--		
6	सेवा चयन एवं परामर्श विभाग	निदेशक	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	35000+	1.5 रूपया	3500+	1.50%
7	सेवा चयन विभाग	महाप्रबंधक	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	30000+	1.5 रूपया	3000+	1.50%
8	आवेदन संग्रह विभाग	पर्यवेक्षक	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	25000+	1.5 रूपया	2000+	
9	आवेदन संग्रह विभाग	रिसेप्शनिस्ट	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	13000+	--	2000+	
10	सुचना संसाधन विभाग	आईटी ऑपरेटर	09	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	25000+	1.5 रूपया	2000+	
11	सुचना संसाधन विभाग	आईटी ऑपरेटर	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	13000+	--		
12	सुचना संसाधन विभाग	चपरासी	09	INTER	2 वर्ष	8000+	--		
13	सुचना संसाधन विभाग	सुरक्षा प्रहरी	01	INTER	2 वर्ष	10000+	--		
14	परामर्श विभाग	महाप्रबंधक	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	30000+	1.5 रूपया	3000+	1.50%
15	कर्मचारी कार्य परामर्श विभाग	पर्यवेक्षक	01	PG. PHED GRADUATE	2 वर्ष	25000+	1.5 रूपया	2000+	
16	कर्मचारी कार्य परामर्श विभाग	वेब निगरानी ऑपरेटर	09	PG. PH.ed GRADUATE B.COM	2 वर्ष	13000+	--		
17	कर्मचारी कार्य परामर्श विभाग	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	8000+	--		
18	कर्मचारी कार्य परामर्श विभाग	सुरक्षा प्रहरी	01	INTER	2 वर्ष	10000+	--		
19	समूह रचनात्मक विभाग	पर्यवेक्षक	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	25000+	1.5 रूपया	2000+	
20	समूह रचनात्मक विभाग	वेब निगरानी ऑपरेटर	09	PG. PH.ed GRADUATE B.COM	2 वर्ष	13000+	--		
21	समूह रचनात्मक विभाग	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	8000+	--		
22	4WS बचत योजना विभाग	पर्यवेक्षक	01	PG. PHED GRADUATE	2 वर्ष	25000+	1.5 रूपया	2000+	
23	4WS बचत योजना विभाग	वेब निगरानी ऑपरेटर	09	PG. PH.ed GRADUATE B.COM	2 वर्ष	13000+	--		
24	4WS बचत योजना विभाग	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	8000+	--		
25	उद्यम ऋण योजना विभाग	पर्यवेक्षक	01	PG. PH.ed GRADUATE	2 वर्ष	25000+	1.5 रूपया	2000+	
26	उद्यम ऋण योजना विभाग	वेब निगरानी ऑपरेटर	09	PG. PHED GRADUATE	2 वर्ष	13000+	--		
27	उद्यम ऋण योजना विभाग	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	8000+	--		
28	राज्य वित्त निदेशक विभाग	निदेशक	01	PG. PHED GRADUATE	2 वर्ष	35000+	1.5 रूपया	3500+	1.50%
29	राज्य वित्त निदेशक विभाग	अंकेक्षक	09	PG. PH.ed GRADUATE M.COM	2 वर्ष	26000+	1.5 रूपया	2500	
30	राज्य वित्त निदेशक विभाग	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	8000+			
31	राज्य वित्त निदेशक विभाग	सुरक्षा प्रहरी	01	INTER	2 वर्ष	10000+			

क्र० सं०	विभाग	पद	रिक्तियाँ	शैक्षणिक योगताएँ	कार्य अनुभव	मानदेय (रूपयें में)	यात्रा भत्ता (प्रति कि. मी०)	आवास फंड (रूपयें में)	क्लब मेंबर एवं परफॉर्मेस बोनस (रूपयें में)
1	प्रमंडल कार्यालय	प्रमंडल अधीक्षक	01	B.Tech M.Tech PG, PH, ed, MBA	2 वर्ष	25000+	1.5 रुपया	3000+	1.50%
2	प्रमंडल कार्यालय	सहायक	01	B.Tech M.Tech PG, PH, ed, MBA	2 वर्ष	20000+	--	2500+	
3	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	पर्यवेक्षक	01	B.Tech M.Tech PG, PH, ed, MBA	2 वर्ष	20000+	1.5 रुपया	3000+	
4	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	रिसेप्शनिस्ट या डाटा ऑपरेटर	04	GRADUATE	2 वर्ष	9000+	--	--	
5	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	चपरासी	01	INTER	2 वर्ष	6000+	--	--	
6	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	सुरक्षा प्रहरी	01	INTER	2 वर्ष	8000+	--	--	
7	जिला कार्यालय	जिला परियोजना प्रबंधक	01	B.Tech M.Tech PG, PH, ed, MBA	2 वर्ष	18000+	1.5 रुपया	2500+	1.50%
8	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	पर्यवेक्षक	01	B.Tech M.Tech PG, PH, ed, MBA	2 वर्ष	13000+	1.5 रुपया	2000+	
9	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	रिसेप्शनिस्ट या डाटा ऑपरेटर	02	GRADUATE	2 वर्ष	9000+	--	--	
10	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	क्षेत्रिय परियोजना पदाधिकारी	अनुमंडल में 1	GRADUATE	2 वर्ष	11000+	1.5 रुपया	2000+	2.0%
11	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	प्रखंड परियोजना पदाधिकारी	प्रखंड में 1	GRADUATE	2 वर्ष	9500+	1.5 रुपया	1500+	3.0%
12	कर्मचारी कार्य परामर्श एवं सूचना संसाधन विभाग	पंचायत समन्वयक	तीन पंचायत पर 1	INTER GRADUATE	2 वर्ष	7200+	1.5 रुपया	--	7.0%+18.0%

- (1) प्रदेश परियोजना निदेशक एवं संबंधित विभागों में रिक्त पदों के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता, अन्य योग्यता कार्यानुभव तथा 18 वर्ष प्रमाणी सीमा निर्धारित है। सभी पदों पर महिला एवं पुरुष दोनों ही आवेदन दे सकते हैं। जो राज्य के मूल निवासी हो।
- (2) अलग-अलग पदों के लिए प्रस्तुत किया गया आवेदन पत्र के आवेदकों को अलग-अलग तिथि में साक्षात्कार कर नियुक्ति दी जाएगी।
- (3) साक्षात्कार परिणाम पत्र ऑनलाइन प्रकाशित किया जाएगा।
- (4) साक्षात्कार परिणाम पत्र में उत्तीर्ण अभ्यार्थियों को सुरक्षा निधि, प्रसंस्करण, प्रशिक्षण इत्यादि शुल्क की मांग की जाएगी।
- (5) अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यार्थियों को सुरक्षा निधि राशि में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। परंतु अभ्यार्थियों को प्रिंटेड अनुभव प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र एवं पेमेंट स्टेटस प्रस्तुत करना होगा।
- (6) संस्थान की ओर से मांग की गई राशि एकमुश्त भुगतान देना होगा।
- (7) भुगतान ई पेमेंट के माध्यम से संस्थान के निजि खाता पर ली जाएगी, नगद भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
- (8) अभ्यार्थियों को भुगतान ई रसीद, गैर न्यायिक (स्टांप) और साक्षात्कार परिणाम पत्र संलग्न कर अपने प्रस्तावित (कार्यालय) में निर्धारित तिथि तक जमा कर देना होगा। अन्यथा 10 प्रतिशत विलंब शुल्क चार्ज किया जाएगा केवल 15 दिन अतिरिक्त अवधि तक।
- (9) 15 दिन अतिरिक्त अवधि तक विलंब शुल्क के साथ राशि जमा नहीं देने वाले अभ्यार्थियों का नाम उत्तीर्ण लिस्ट से हटा दी जाएगी।
- (10) अभ्यार्थियों का केवल सुरक्षा निधि 18 महीना उपरांत सशर्त भुगतान दिया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में 8 महीना बाद 50 प्रतिशत सुरक्षा निधि वापस लिया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया

- (1) सभी पद के आवेदकों को अपने क्षेत्रीय भाषा के साथ-साथ हिंदी, अंग्रेजी एवं तकनीकी शिक्षा का ज्ञान होना अनिवार्य है।
- (2) आवेदकों में सकारात्मक सोच के साथ-साथ विवेकता पूर्ण नेतृत्व क्षमता होना अनिवार्य है।
- (3) सभी पद के इच्छुक आवेदक बेबसाइट पोर्टल पर आवेदन दे सकता है।
- (4) आवेदन पत्र में विवरण आधार अनुसार ही प्रविष्ट करना अनिवार्य होगा।
- (5) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अक्षर सा: मूल्यांकन कर ले। त्रुटि अथवा गलत जानकारी प्रस्तुत करने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
- (6) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले अपना सभी डाक्यूमेंट्स जैसे अंतिम योग्यता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड अनुभव प्रमाण पत्र अपनी योग्यता प्रमाण पत्र के साथ-साथ स्वा हस्ताक्षरित एवं रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो अनिवार्य रूप से अपलोड करें।
- (7) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने से पहले आवेदन शुल्क संस्थान के निजि खाता संख्या 1020005003630, IFSC Code BDBL0001857 ई पेमेंट की सहायता से भुगतान करें और ट्रांजेक्शन आईडी प्रविष्ट कर सबमिट कर दें।
- (8) आवेदन शुल्क भुगतान का प्राप्ति ई - रसीद अपने पास सुरक्षित रखें ताकि गलत ट्रांजेक्शन आईडी प्रविष्ट होने पर सुधार किया जा सके।

साक्षात्कार

- (1) साक्षात्कार आवेदन जमा तिथि से कम से कम 15 दिन अधिक से अधिक 30 दिनों के अंदर आमंत्रित किया जाएगा जिसकी सूचना पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS या कॉल माध्यम से दिया जाएगा।
- (2) साक्षात्कार प्रवेश पत्र साक्षात्कार तिथि से 48 घंटा पूर्व वेब पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।
- (3) आवेदक को साक्षात्कार प्रवेश पत्र में प्रकाशित तिथि एवं समय से 5 मिनट पूर्व साक्षात्कार स्थल पर पहुँच कर अपनी उपस्थिति देना होगा तथा विभाग (कार्यालय) मैं साक्षात्कार प्रवेश पत्र मूल आधार, मूल पमाण पत्र का मूल्यांकन कराना होगा।
- (4) आवेदक को साक्षात्कार स्थल पर अनुशासित होकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करने होंगे।
- (5) साक्षात्कार स्थल पर धूमपान एवं अन्य खाद्य पदार्थ का सेवन प्रतिबंधित होगा।
- (6) साक्षात्कार टीम के द्वारा कम से कम 48 घंटा अधिक से अधिक 7 दिनों के अंदर ऑनलाइन परिणाम प्रकाशित कर दी जाएगी, जिसकी सूचना आवेदकों के पंजीकृत संपर्क नबंर पर दिया जाएगा। प्रकाशित परिणाम को चुनौती नहीं दिया जा सकता है।

सेवा शर्त

- ग्रुप A और B में शामिल नव युक्त कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को सेवा प्रशिक्षण नियम के तहत कम से कम 3 महीना अधिकतम 6 महीना तक अनुमोदित मासिक सुविधाओं का 50 प्रतिशत ही भुगतान दी जाएगी।
- (1) प्रशिक्षण प्रस्तावित विभागीय पदाधिकारी के अधीन होगा।
- (2) प्रशिक्षण वर्चुअल क्लास एवं कार्यक्षेत्र में योगदान सहित दिए जाएंगे।

- (3) प्रशिक्षण अवधि या अनिवार्य सेवा अवधि में मासिक निर्देश का 55 प्रतिशत से उपर विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा अन्यथा सुविधाएं कार्य प्रतिशत के आधार पर अनुमोदित की जाएगी।
- (4) प्रशिक्षण अवधि तक आपातकालीन अवकाश के अलावा अन्य कोई भी अवकाश अनुमोदित नहीं होगी।
- (5) प्रशिक्षण अवधि या अनिवार्य सेवा अवधि में दैनिक रिपोर्ट सुबह 9:30 बजे अपने प्रस्तावित विभाग में करेंगे। उक्त अवधि में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर अनुपस्थित समझा जाएगा।
- (6) दैनिक रिपोर्ट पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को ऑनलाइन वेब पोर्टल पर संध्या 5:00 बजे से रात्रि 11:59 तक प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (7) सभी प्रशिक्षण कर्मी एवं अनिवार्य सेवा कर्मियों को सप्ताहिक कार्यप्रणाली सोमवार से शनिवार तक प्रतिदिन 8 घंटा सेवा के रूप में रिकॉर्ड करना होगा।

स्थानांतरण

ग्रुप A और B में शामिल सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का पद स्थानांतरण प्रत्येक तीन - तीन महिना पर किया जाएगा।

(1) प्रत्येक तीन - तीन महीना का प्रोग्रेस रिपोर्ट 75 प्रतिशत से उपर होने पर पदस्थानांतरण या पदोन्नति का प्रस्ताव संस्थान एवं उनके संबंधित विभाग ले सकता है परंतु 55 प्रतिशत से नीचे प्रोग्रेस रिपोर्ट पर केवल स्थानांतरण का निर्णय लिया जाएगा।

(2) स्थानांतरण या पदोन्नति या विमुक्ति सूची में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को वर्तमान के सभी प्रभार प्रस्तावित विभाग (कार्यालय) में जमा कर देने उपरांत ही नए प्रभार दिया जा सकता है अन्यथा नहीं। पद से विमुक्त किए गए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को केवल प्रभार जमा करना होगा।

बैठक

ग्रुप A और B मैं शामिल सभी अभ्यार्थियों का मासिक समीक्षा बैठक प्रस्तावित विभागीय पदाधिकारियों के द्वारा बुलाई जाएगी आपातकालीन बैठक कभी भी आमंत्रित कर सकता है।

- (1) प्रस्तावित विभागों के द्वारा आमंत्रित किए गए समीक्षा बैठक में सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगा।
- (2) बैठक में बगैर सूचना के अनुपस्थित पाए गए पदाधिकारीयों एवं कर्मचारियों को प्रस्तावित विभागीय पदाधिकारियों कम से कम 7 दिन अधिक से अधिक समय के लिए उपस्थिति निरस्त कर मासिक सुविधाओं से वंचित कर सकता है।
- (3) लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित पाए गए पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को पद से विमुक्त करने का प्रस्ताव पत्र अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को भेज सकता है एवं निर्णय आने उपरांत विमुक्त कर सकता है।

भविष्य निधि

ग्रुप A और B में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक दे सुविधाओं से 11 प्रतिशत भविष्य निधि फंड काटी जाएगी या भविष्य निधि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में 17 प्रतिशत अतिरिक्त वार्षिक सहायता के साथ भुगतान दिया जाएगा।

आयकर

ग्रुप A और B मैं शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का वार्षिक आय के अनूकुल TDS काटी जाएगी यह कर भारत सरकार के संवैधनिक संस्थान आयकर विभाग को प्राप्त होगा।
मासिक सुविधाओं का भुगतान।

ग्रुप A और B में शामिल पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों का मासिक सुविधाएं प्रति महीना 10 तारीख तक भुगतान निजी खाता संख्या पर अनुमोदित करेगी।

समय सीमा में भुगतान नहीं होने पर विभाग के द्वारा सूचना दिया जा सकता है।

कार्यवाई

निम्नलिखित अवस्थाओं में ग्रुप A और B में शामिल पदाधिकारियों, कर्मचारियों के ऊपर दंडात्मक कार्यवाई एवं जुर्माना या सेवा से विमुक्त किया जा सकता है।

- (1) नियम निर्देश के विपरीत कार्य करने पर अथवा पालन नहीं करने पर।
- (2) भ्रष्टाचारी गमन दुराचारी एवं अन्य अ संविधानिक अथवा संवेदनशील मामलों में दोषी पाए जाने पर।
- (3) न्यायालय द्वारा दंडित किए जाने पर।
- (4) पागल या मृत्यु होने पर।
- (5) लगातार तीन बैठक में अनुपस्थित पाए जाने पर।
- (6) अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर।
- (7) स्वंयं त्यागपत्र देने पर।

दंडात्मक और अनुशासित कार्यवाई अथवा जुर्माना प्रस्तावित विभाग के प्रमुख या पदाधिकारियों के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।